



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 5, 2012/फाल्गुन 15, 1933

No. 91]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 2012/PHALGUNA 15, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2012

सं. 18/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 119(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड 'आयात एवं निर्यात की दैनिक सूची का प्रकाशन नियमावली' में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इस नियमावली को 'आयात और निर्यात की दैनिक सूची का प्रकाशन (संशोधन) नियमावली, 2012' कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. 'आयात और निर्यात के दैनिक सूची का प्रकाशन नियमावली' (एतश्मिन पश्चात् जिसे प्रधान नियमावली से संदर्भित किया गया है) में नियम 1 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

"1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को आयात और निर्यात की दैनिक सूची का प्रकाशन नियमावली, 2004 कहा जाएगा।"

3. इस प्रकार संशोधित प्रधान नियमावली में—

(क) नियम 2 में, उप-नियम (1) में, 'पत्तन के कामकाज' शब्दों के स्थान पर 'कार्यरत पत्तन, वायु पत्तन, इनलैण्ड कटेनर डिपो या लैण्ड कस्टम्स स्टेशन्स' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

"3. प्रकाशन के ब्यौरे.—(1) नियम 2 के उप-नियम (1) में संदर्भित ब्यौरे निम्नलिखित होंगे :—

आयात की दैनिक सूची—

1. उद्भव पत्तन या देश
2. माल का विवरण
3. सीमा-शुल्क टैरिफ शीर्ष
4. मात्रा
5. इकाई मात्रा कोड
6. माल का मूल्य (रुपये में)

निर्यात की दैनिक सूची—

1. गन्तव्य पत्तन
2. माल का विवरण
3. सीमा-शुल्क टैरिफ शीर्ष
4. मात्रा
5. इकाई मात्रा कोड
6. माल का मूल्य (रुपये में)

[फा. सं. 401/234/2010-सीमा-शुल्क-III]

विकास, अवर सचिव

टिप्पण :—प्रधान अधिसूचना सं. 128/2004-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 19 नवम्बर, 2004 को सा.का.नि. 758(अ), दिनांक 19 नवम्बर, 2004 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2012

No. 18/2012-Customs (N.T.)

**G.S.R. 119(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments to the Publication of Daily List of Imports and Exports Rules, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Publication of Daily Lists of Imports and Exports (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Publication of Daily List of Imports and Exports Rules (hereinafter referred to as the principal Rules), for rule 1, the following rule shall be substituted, namely:—

**“1. Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Publication of Daily Lists of Imports and Exports Rules, 2004.”;

3. In the principal Rules as so amended,—

(a) in rule 2, in sub-rule (1), for the words “port functioning”, the words “functioning port, airport, inland container depot or land customs stations” shall be substituted;

(b) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

**“3. Particulars of publication.**—(1) The particulars referred to in sub-rule (1) of rule 2 shall be the following:—

Daily list of imports—

1. Port or country of origin
2. Description of goods
3. Customs tariff heading
4. Quantity
5. Unit quantity code
6. Value of goods (in rupees)

Daily list of exports—

1. Port of destination
2. Description of goods
3. Customs tariff heading
4. Quantity
5. Unit quantity code
6. Value of goods (in rupees).”

[F. No. 401/234/2010-Cus. III]

VIKAS, Under Secy.

**Note:—** The principal notification No. 128/2004-Customs (N.T.), dated the 19th November, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 758(E), dated the 19th November, 2004.